

संख्या:-3295-औसं/2017-11(1)ए०एस०/09(16)

दिनांक: 01 जुलाई, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की दिनांक 30.06.2018 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791-औसं/2016-11(1)ए०एस०/09(16) दिनांक 08.07.2016 की सूची-2 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1547-औसं/2017-11(1)ए०एस०/09(16) दिनांक 24.03.2017 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित अस्पतालों की मान्यता कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन पूर्व मान्यता के साथ दिनांक 01.07.2017 से अग्रेतर दिनांक 30.06.2018 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रमावी तिथि
1.	चरक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।	30.06.2018
2.	डेण्टल केयर क्लीनिक, 3 नवल किशोर रोड, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.06.2018
3.	धनवन्तरी जीवन रेखा लि०, 1-साकेत, मेरठ।	30.06.2018
4.	कॉसमॉस हॉस्पिटल, प्रेमनगर, पोस्ट ऑफिस-काजीपुरा, काँट रोड, मुरादाबाद।	30.06.2018
5.	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर।	30.06.2018

- उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- चिकित्सालयों द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

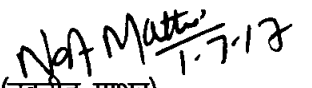
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

NCL 2/-

संख्या:-3295-(1) औस/2017-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को। कृपया कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
14. सलाहकार (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
16. कट फाइल।


 (नवनीत माथुर)
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
 ३